

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
मुजफ्फरपुर।

विषय:-

पटना, दिनांक जनवरी, 2016  
वित्तीय वर्ष 2015-16 में सेना भर्ती रैली, 2014 के आयोजन में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त अधियाचित राशि ₹ 70,39,000 (सत्तर लाख उनचालीस हजार रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-01/नजारत, दिनांक 15.01.2016 के संबंध में कहना है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, सिकन्दरपुर में आयोजित सेना भर्ती रैली (दिनांक 03.12.2014 से 11.12.2014 तक), 2014 के अवसर पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आपसे प्राप्त अधियाचना के आलोक में गैर योजनान्तर्गत विभागीय पत्रांक-10, दिनांक 11.08.2015 द्वारा पूर्व आवंटित राशि के अतिरिक्त निम्नांकित रूप से ₹ 70,39,000 (सत्तर लाख उनचालीस हजार रू0) मात्र का आवंटन दिया जाता है :-

क्र0	विषय शीर्ष	13 01-कार्यालय व्यय		
		पूर्व आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1.	13 01-कार्यालय व्यय	₹ 35,20,000	₹ 68,90,000	₹ 1,04,10,000
2.	13 02-वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	₹ 73,60,000	₹ 1,49,000	₹ 75,09,000
3.	28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	₹ 88,00,000	₹ 0	₹ 88,00,000
कुल		₹ 1,96,80,000	₹ 70,39,000	₹ 2,67,19,000

2. उपर्युक्त राशि का आवंटन चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना की मांग सं0-22 मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0009-प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय, विषय शीर्ष 13 01-कार्यालय व्यय, 13 02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव एवं विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना अंतर्गत सभी व्यय के लिए वित्त विभाग के पत्रांक-5294/वि0(2) दिनांक 17.06.2015 द्वारा प्रावधानित चौमाही प्रतिशत बंधेज को शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरूप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों की कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समाप्त समाप्त पर निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाये।

10. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात संलग्न किये जायें।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र अवश्य अंकित किया जाये।

12. वांछित डी०सी० विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र छह माह के अंदर समर्पित किया जाये।

13. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाये।

विश्वासभाजन

ह०/—

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं०-6/ब०गै०यो०-01-31/2015गृ०आ०.....पटना, दिनांक जनवरी, 2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं०-6/ब०गै०यो०-01-31/2015गृ०आ०.....पटना, दिनांक जनवरी, 2016

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं०-6/ब०गै०यो०-01-31/2015गृ०आ०.....763.....पटना, दिनांक 1/2 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(m)

सरकार के प्रधान सचिव

31.1.16